प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 06/11/2026

थाना दुर्गागंज पुलिस द्वारा गाली-गलौज और मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देते हुए पीड़ित के (गूगल पे) खाते से रुपये ट्रांसफर करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 24/10/2026 को आरोपी आरिफ, राजा चौबे, आनन्द कन्नौजिया और शनी बिन्द ने पीड़ित बाबूराम को घेरकर, मारपीट व जान से मारने की धमकी देकर उनका मोबाइल छीनकर उनके खाते से 69,000/- रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करने के सम्बन्ध में थाना दुर्गागंज, जनपद भदोही पर मु0अ0सं0 0121/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 308(5) बी0एन0एस0 (BNS) के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 06/11/2026 को थाना दुर्गागंज पुलिस द्वारा गाली-गलौज और मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देते हुए पीड़ित के (गूगल पे) खाते से रुपये ट्रांसफर करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. आनन्द कनौजिया पुत्र स्व० फूलचन्द कनौजिया उर्फ भट्टल (उम्र करीब 22 वर्ष), निवासी: नीबी मिल्कीपुर, थाना दुर्गागंज, जनपद भदोही।

2. शनी बिन्द पुत्र हंसराज बिन्द (उम्र करीब 19 वर्ष), निवासी: ग्राम चौर (बौरी बोझ), थाना दुर्गागंज, जनपद भदोही।

पूछताछ का विवरण:-

पीड़ित वादी बाबूराम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दिनांक 24/10/2026 को रात करीब 8 बजे जब वह चौर चौराहे के पास मोबाइल पर बात कर रहा था, तब अभियुक्तों ने सहयोगियों के साथ मिलकर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देकर उसका मोबाइल छीन लिया था। इसके बाद हाथ-पैर तोड़ने का भय दिखाकर गूगल पे (Google Pay) का पासवर्ड हासिल किया और खाते से 69,000/- रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से अभियुक्तों ने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया था और सिम निकालकर फेंक दिया था। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपराध कारित करना स्वीकार किया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव,उ0नि0 रामलाल राय, कां० घनश्याम, कां० रमेश कुमार, कां० रामप्रवेश गोस्वामी थाना दुर्गागंज जनपद भदोही।